रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16, 2000/अग्रहायण 27, 1922
No. 815] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 16, 2000/AGRAHAYANA 27, 1922

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

(प्रवर्तन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2000

का.आ. 1127(अ).— केन्द्रीय सरकार, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985, (1985 का 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 12 फरवरी, 1987 को प्रकाशित वस्त्र मंत्रालय (वस्त्र विभाग), हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय की अधिसूचना सं० का० आ० 89 (अ) और अधिसूचना सं० का० आ० 61 (अ) तारीख 19 जनवरी, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है इसके द्वारा यह निदेश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के उपबंध के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का, सारणी के स्तंभ 2 में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारियों या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा, अर्थात :—

सारणी

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालय	अधिकारी/प्राधिकारी का पदनाम	प्रयोक्तव्य शक्तियाँ
(1)	(2)	(3)
क हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	1. हथकरघा विकास आयुक्त, हथकरघा अपर विकास आयुक्त और हथकरघा संयुक्त विकास आयुक्त	धारा 4, 6, 7, 8 और 16.

(1)	(2)	(3)
	2. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय	धारा 6, 7, और 8
	3. प्रादेशिक/उपप्रवर्तन अधिकारी, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय	धारा 6, 7, और 8
	4. सहायक निदेशक , हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय	धारा 6, 7, और 8
	5. निदेशक , उपनिदेशक , सहायक निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र	धारा 6, 7, और 8
ख. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	1. वस्त्र आयुक्त, अपर वस्त्र आयुक्त और संयुक्त वस्त्र आयुक्त	धारा 6, 7, और 8
	2. प्रादेशिक कार्यालय का भारसाधक निदेशक , वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	धारा 6, 7, और 8
	3. प्रवर्तन अधिकारी , वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	धारा 6, 7, और 8
ग. राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के भारसाधक हथकरघा निदेशक /आयुक्त का कार्यालय या चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, का कार्यालय	1. राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के हथकरघा निदेशक /आयुक्त और उसके अधीन हथकरघा भारसाधक अधिकारी , जो सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो या चाहे जिस नाम से ज्ञात हो	धारा 6, 7, और 8
	2. संघ राज्य क्षेत्र पाँडिचेरी में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां और उसके अधीनस्थ अधिकारी जो उपरजिस्ट्रार से नीचे की पंक्ति का ना हों ।	धारा 6, 7, और 8

IndiaCode

धारा 4. सहकार समिति का गठन
धारा 6. सूचना मंगाने या नमूने लेने की शक्ति
धारा 7. प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति
धारा 8. तलाशी लेने और अभिग्रहण की शक्ति
धारा16. केन्द्रीय सरकार की निर्देश देने की शक्ति

[फा. सं. 7/12/2000-डीसीएच/सीईओ]
अरुण गुप्ता, अपर सचिव और हथकरघा विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

(Enforcement Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2000

S.O. 1127(E).—In exercise of powers conferred by section 15 of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985, (22 of 1985) and in supersession of the notifications of the Ministry of Textiles (Department of Textiles), (Office of the Development Commissioner for Handlooms) No.S.O. 89 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section - 3, Sub Section (ii) dated 12th February, 1987 and No. S.O. No.61(E) dated 19th January, 1994 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under the provisions of the said Act as specified in the column (3) of the table below shall be exercisable also by the officers or authority as specified in column (2) of the table; namely:-

TABLE

Offices of the Central/ State Governments	Designation of the Officers/ Authority	Powers exercisable
(1)	(2)	(3)
A Office of the Development Commissioner for Handlooms , Ministry of Textiles, Government of India.	1 Development Commissioner for Handlooms, Additional Development Commissioner for Handlooms and Joint Development Commissioner for Handlooms.	• Sections 4,6, 7, 8 & 16
	2 Chief Enforcement Officer, Office of the Development Commissioner for Handlooms.	• Sections 6,7, & 8
	3 Regional/Deputy Enforcement Officer, Office of the Development Commissioner for Handlooms.	• Sections 6,7, & 8
	4 Assistant Director in the Office of the Development	• Sections 6,7, & 8

	Commissioner for Handlooms.	
	5. Director, Deputy Director, Assistant Director working in the Weavers' Service Centres.	• Sections 6,7, & 8
B. Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Government of India.	1. Textile Commissioner, Additional Textile Commissioner and Joint Textile Commissioner.	• Sections 6,7, & 8
	2. Director in-charge of Regional Office, Office of the Textile Commissioner.	• Sections 6,7, & 8
	3. Enforcement Officer, Office of the Textile Commissioner	• Sections 6,7, & 8
C. Office of the State/UT Director/Commissioner in-charge of Handlooms or by whatever name called	1. State/UT Director/Commissioner in-charge of Handlooms and the subordinate officers in-charge of handlooms under him not below the rank of Assistant Director or by whatever name called.	• Sections 6,7, & 8
	2. Registrar of Cooperative Societies and its subordinate officers not below the rank of Deputy Registrar in the UT of Pondicherry.	• Sections 6,7, & 8

- Section 4 constitution of the Advisory Committee.
- Section 6 power to call for information or to furnish samples.
- Section 7 power to enter and inspect.
- Section 8 power to search and seize.
- Section 16 power of the Central Government to give directions.

[No. 7/12/2000-DCH/CEO]
ARUN GUPTA, Addl. Secy.
and Development Commissioner for Handlooms

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode